दिनांक 21.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 30/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स–2025 में 09 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गयी मुलाकात

आज दिनांक 21.07.2025 को **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** से **''वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स–2025''** में 09 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के **सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री जगदीश सिंह** द्वारा मुलाकात की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री जगदीश सिंह को मेडल पहना कर सम्मानित किया गया तथा शुभकामनाएं दी गयी।

विदित हो कि अमेरिका के बर्मिंघम में दिनॉकः 27 जून से 06 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में उ0प्र0 पुलिस के **सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक 69 वर्षीय श्री जगदीश सिंह** द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपने जुनून और फिटनेस के दम पर **09 पदक जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड** बनाते हुए अपने देश का नाम रोशन किया गया।

यह उपलब्धि उन्हें World Police Games में भारत के सबसे वरिष्ठ और सबसे सफल एथलीट के रूप में स्थापित करती है। एक वरिष्ठ खिलाड़ी द्वारा एक साथ 09 पदक जीतना वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 40 वर्षों में भारत के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जो न केवल उ0प्र0 पुलिस बल्कि प्रदेश एवं देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है।

हर दिन एक के बाद एक स्पर्धाओं में भाग लेना और प्रत्येक इवेन्ट में अपना बेस्ट देना, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चुनौतिपूर्ण होता है।

69 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करके इन्होने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नम्बर है, असली ताकत आपके जज्बे और आत्मविश्वास में होती है।

विशेष प्रेरणाः

4800 मीटर की दौड़ में इनके द्वारा लिया गया 28 मिनट का समय आज भी पुलिस भर्ती के मापदंड से कम है। यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो युवा होते हुए भी पुलिस भर्ती में 4800 मीटर की दौड़ को 28 मिनट में पूरा नहीं कर पाते।

प्राप्त कुल पदक की संख्याः– 09

1–03 स्वर्ण

2–04 रजत

3–02 कांस्य

प्रमुख उपलब्धियाँ:

व्यक्तिगत स्पर्धाएँ (65+ वर्ग):

800 मीटर दौड़ – स्वर्ण (3 मिनट 38 सेकंड)

10 किलोमीटर दौड़ – स्वर्ण (59 मिनट)

5000 मीटर दौड़ –रजत (28 मिनट)

क्रॉस कंट्री – कांस्य (1 घंटा 2 मिनट)

हाफ मैराथन –कांस्य (2 घंटे 12 मिनट)

टीम स्पर्धाएँ:

क्रॉस कंट्री टीम (भारत + ब्राज़ील) –स्वर्ण

बैडमिंटन टीम (60+, भारत + मलेशिया) –रजत

4X400 मीटर रिले (60+) – रजत

हाफ मैराथन टीम (भारत + यूएसए) – रजत

दिनांक 21.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50 हजार पुरस्कार का घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21–07–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1–तौहीद पुत्र कासिम निवासी अमहट जेल रोड थाना कोतवाली नगर सुलतानपुर हाल पता ग्राम हटवा सल्लाहपुर थाना पुरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

भतीजा अंडरपास, थाना क्षेत्र सैय्यदराजा, जनपद चंदौली दिनांक 21–07–2025 समय करीब 02:15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद चंदौली में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त तौहीद भतीजा अंडरपास पर मौजूद है। प्राप्त सूचना पर मुख्य आरक्षी प्रभाकर पाण्डेय, मुख्य आरक्षी गौरव सिंह, मुख्य आरक्षी प्रशांत कुमार सिंह की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त तौहीद को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इसका एक गिरोह है, जो यू0पी0, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से गोवंशीय पषुओं की असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में तस्करी करता है। इसके पूर्व में यह जुलाई–2023 में गोवंशीय पषुओं की तस्करी में थाना सैय्यदराजा चंदौली से गिरफ्तार हुआ था। नवंबर–2023 में थाना सैय्यदराजा चंदौली में गैगेस्टर का अभियोग पंजीकृत होने पर हरियाणा, मुंबई, दिल्ली तथा अहमदाबाद में छिप कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

तौहीद का अपराधिक इतिहासः

1–मु0अ0सं0 16/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

2–मु0अ0सं0 216/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

3–मु0अ0सं0 157/2025 धारा 209 बीएनएस थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

एसटीएफः जनपद पीलीभीत से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज कुमार भारती नई दिल्ली से गिरफ्तार।

दिनांक 20–07–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को थाना अमरिया जनपद पीलीभीत में पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2024 धारा 420,467,468,471,406,506 भादवि में रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित व अन्य 05 अभियोगों में वांछित अभियुक्त मनोज कुमार भारती को नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः–

मनोज कुमार भारती पुत्र बृजमोहन निवासी पिजरावमनपुरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय–</u>

त्वमेव होटल ऑल्ड पंखा रोड, उत्तम नगर ईस्ट, थाना बिन्दापुर, नई दिल्ली। दिनांक–20–07–2025 समय करीब 14:35 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 धूम सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 हरिओम सिंह, मु0आ0 अरूण कुमार, मु0आ0 सुनित व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, इस दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद पीलीभीत के कई अभियोगों में वांछित एवं रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिल्ली में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा त्वमेव होटल ऑल्ड पंखा रोड, उत्तम नगर ईस्ट, थाना बिन्दापुर, नई दिल्ली से वांछित अभियुक्त मनोज भारती को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त मनोज कुमार भारती ने बताया कि वह वर्ष–2023 में सितारगंज, उत्तराखण्ड के सिटी सेंटर होटल में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात फ्लाई हाई कम्पनी के मालिक कुदरतउल्ला से हुई। यह कम्पनी लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर विदेश भेजती थी। जिसमें कुछ समय यह काम किया, जिसके बाद वहॉ से काम छोड़कर बैंक में काम करने लगा। बैंक में काम करने के दौरान इसकी मुलाकात मो0 सैय्यद अली से हुई, जो पंजाब का रहने वाला है, इसके कम्पनी का नाम वनवर्ड ओवरसीज है। यह कम्पनी भी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को विदेश भेजती है। मो0 सैय्यद अली ने इसे आश्वासन दिया कि तुम मेरी कम्पनी का कार्यालय जहां तुम चाहो खोल लो, वह अपना लाइसेंस लगा देगा। इस पर इसने मो0 सैय्यद अली की कम्पनी का कार्यालय गांधी स्टेडियम रोड, पीलीभीत पर वनवर्ड ओवरसीज नाम से खोल लिया। जहां पर मो0 सैय्यद अली के साथ मिलकर लोगों को विदेष भेजने के नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनसे ठगी करते थे। काफी लोगों से ठगी करने के बाद कार्यालय बन्द करके भाग गये और अपना नम्बर स्वीच आफ कर लिए। वर्तमान समय में यह त्वमेव होटल, उत्तम नगर ईस्ट, नई दिल्ली में नाम बदलकर मुकेश नाम से नौकरी कर रहा था।

अभियुक्त मनोज उपरोक्त को मु0अ0सं0 125/2025 धारा 209 बी0एन0एस0 थाना अमरिया जनपद पीलीभीत में दाखिल किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना अमरिया जनपद पीलीभीत द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त मनोज कुमार भारती का आपराधिक इतिहासः–

1–मु0अ0सं0 187/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना अमरिया जनपद पीलीभीत।

2–मु0अ0सं0 40/2025 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत।

3–मु0अ0सं0 52/2025 धारा 406, 420, 506 भादवि थाना अमरिया जनपद पीलीभीत।

4–मु0अ0सं0 84/2025 धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 थाना माधौटाण्डा जनपद पीलीभीत।

5–मु0अ0सं0 125/2025 धारा 209 बी0एन0एस0 थाना अमरिया जनपद पीलीभीत।

जनपद भदोही/थाना औराई

- **पुलिस कार्यवाही में 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनॉकः 20/21.07.2025 की रात्रि थाना औराई व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भैदपुर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अंकित उर्फ कार्तिक उर्फ आनन्द 2–आकाष घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–विपिन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुये। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद भदोही से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त 1–अंकित उर्फ कार्तिक पर 25 हजार रूपये, अभियुक्त 2–आकाश पर 15 हजार रूपये, अभियुक्त 3–विपिन पर 05 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित थे। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उर्फ कार्तिक उर्फ आनन्द के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औराई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित उर्फ कार्तिक उर्फ आनन्द निवासी शम्भूपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

2–आकाश निवासी मनेगा का पूरा महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

3–विपिन निवासी अरसिया बाजार थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 कार आदि।

जनपद अमरोहा/थाना मण्डी धनौरा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20/21.07.2025 को थाना मण्डी धनौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गादीखेडा नहर के किनारे से 03 अभियुक्तों 1–रोहित 2–प्रिंस 3–अंकुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रिंस के विरूद्ध जनपद अमरोहा, बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त अंकुल व रोहित के विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

2–प्रिंस निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

3–अंकुल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल।

➢ **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना जेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/377/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–साहिल 2–इरफान को आजीवन कारावास व 01 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद उन्नाव/थाना को0सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना को0सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–श्यामू 2–लाला उर्फ राजेश को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना हरदुआगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना हरदुआगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शीलेन्द्र 2–ओमप्रकाश 3–हप्पू उर्फ हपुआ 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना राठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 24–24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रोशन 2–शहबाज 3–तौजीफ उर्फ नदीम को आजीवन कारावास व 24–24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना कुदरकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कुदरकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366/506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————